राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
ई–मेलःadpension.sje@rajasthan.gov.in दूरभाषः 0141– 2740637

क्रमांकः एफ 09 (05)(12–।।) सासुपे नियम/सान्याअवि/2021–22/U542 जयपुर, दिनांक 1.10.21

परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के बिन्दु संख्या 238 में ***राजकीय योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन व दस्तावेज के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य करने की*** घोषणा की गई थी एवं बिन्दु संख्या 24– अन्तर्गत दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त करते हुए, प्रक्रिया का सरलीकरण व Deemed तथा Auto Approval के प्रावधान की घोषणा की गई थी। सरलीकरण के क्रम में मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र क्रमांक 3209 दिनांक 08.09.2021 में निर्देश प्रदान किए गए कि योजना के पात्रता संबंधी दस्तावेजों के स्थान पर जनआधार डेटाबेस के आधार पर ऑनलाईन प्रमाणीकरण कर योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) किया जाये (**परिशिष्ठ–1**)। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा भी पत्रांक 3462/2021 दिनांक 22.9.2021 जारी किया गया है (**परिशिष्ठ–2**)।

इस क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चिन्हित योजनाओं के संबंधित नियमों के अन्तर्गत वर्तमान में आवेदन प्रस्तुत करने, इनका सत्यापन किए जाने एवं पेंशन स्वीकृत करने की ऑनलाइन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाकर दिनांक 2 अक्टूबर 2021 से पेंशन प्राप्त करने के लिए RAJSSP पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने वाले आवेदनों को RAJSSP पोर्टल द्वारा बिना मानवीय हस्तक्षेप (without human Intervention) स्वतः सत्यापन (Auto Verification) के आधार पर स्वतः स्वीकृति (Auto Approval) की जाएगी। इस हेतु जन आधार एवं राज एस. एस.पी. पोर्टल को एकीकृत कर दिया गया है। प्रथम चरण में विभाग द्वारा संचालित की जा रही निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त पेंशन आवेदनों का सिस्टम आधारित स्वतः सत्यापन एवं उनकी स्वतः स्वीकृति की जानी है :–

- **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना,**
- **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना,**
- **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना,**
- **मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना,**
- **मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना एवं**
- **मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना**

A. ऑनलाइन आवेदन व स्वतः स्वीकृति (ONLINE APPLICATOIN AND AUTO APPROVAL)

राज एस.एस.पी. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक की सूचना को प्रामाणिक माना जाएगा। उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर राज एस.एस.पी. पोर्टल द्वारा ऑनलाइन स्वतः सत्यापन कर स्वतः स्वीकृति जारी होगी (**परिशिष्ठ–3**)। आवश्यकता होने पर आवेदक द्वारा जनाधार पोर्टल पर वांछित संशोधन करवाया जा सकता है (**परिशिष्ठ–4**)। 2 अक्टूबर, 2021 से पूर्व के लंबित आवेदन जिनका जनाधार पर डेटा उपलध है व जो पात्र पाए जाते हैं उनकी RAJSSP Portal द्वारा स्वतः स्वीकृति जारी की जाएगी। जिन प्रकरणों में वांछित डेटा व दस्तावेज नहीं होने से स्वतः स्वीकृत नहीं होंगे उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा गुणावगुण के आधार पर पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित किया जाएगा।

B. पोस्ट ऑडिट व वसूली (POST AUDIT AND RECOVERY)

ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति के उपरांत RAJSSP पोर्टल के माध्यम से स्वतः स्वीकृत किए गए पेंशन प्रकरणों में से राज एस.एस.पी. पोर्टल के सिस्टम द्वारा इंगित किए गए कुछ पेंशन स्वीकृति प्रकरणों की पोस्ट–ऑडिट का कार्य शहरी क्षेत्रो में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा 30 दिवस में आवश्यक रूप से किया जाएगा।

इन पेंशन प्रकरणों में से पाए जाने वाले त्रुटिपूर्ण पेंशन स्वीकृतियों के प्रकरणों को उप खण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा ऑनलाइन निरस्त किया जाएगा, जिसकी सूचना जनाधार पोर्टल पर लाभार्थी के जनआधार प्रोफाईल में राज एस.एस.पी. पोर्टल के माध्यम से स्वतः अपडेट होगी। इन प्रकरणों में भुगतान की गई राशि की वसूली 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ इन्हीं अधिकारियों (उपखण्ड /विकास अधिकारी) द्वारा की जाएगी। साथ ही ऐसे दोषपूर्ण प्रकरण में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जाएगी।

C. वार्षिक भौतिक सत्यापन व सामाजिक अंकेक्षण (ANNUAL PHYSICAL VERIFICATION AND SOCIAL AUDIT)

पेशनर्स की वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। यदि कोई पेंशनर किसी कारण से अपात्र हो जाता है, जैसे परिवार में किसी का राजकीय सेवा में आना, वार्षिक आय बढ जाना, विधवा का पुनर्विवाह हो जाना अथवा मृत्यु हो जाना तो जनाधार पोर्टल पर डाटाबेस में आवश्यक परिवर्तन करवाना पेंशनर्स/परिवार का दायित्व होगा। अपात्र होने पर पेंशन लेना जारी रखने पर संबन्धितों के विरूद्ध वसूली के साथ विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही अपात्र हो जाने अथवा पेंशनर की मृत्यु होने की दशा में पेंशनर के पीपीओ को निरस्त करने का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित विकास अधिकारियों एवं शहरी क्षेत्रों में उपखण्ड अधिकारियों का होगा।

योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समस्त लाभार्थियों के नाम जनसूचना पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं अन्य योजनाओं की तरह वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम सभाओं में लाभार्थियों के नाम पढकर सुनाए जाएंगे।

D. निगरानी और पर्यवेक्षण (MONITORING AND SUPERVISION)

प्रारम्भ से ही पेंशन आवेदनों के सत्यापन का कार्य तहसीलदारों/अधिशाषी अधिकारी अथवा आयुक्त नगर निगम/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा तथा पेंशन स्वीकृतियों का कार्य विकास अधिकारियों एवं उपखण्ड अधिकारियों द्वारा किया जाता रहा है। इस नवीन प्रक्रिया के उपरान्त भी इन योजनाओं के जमीनी स्तर पर सफल क्रियान्वयन का कार्य इनके द्वारा पूर्व की भांति नियमित रूप से किया जाता रहेगा जिसमें वार्षिक भौतिक सत्यापन, पेंशनर्स द्वारा अथवा पेंशनर्स के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जाँच आदि प्रमुख है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाऐं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप योजनाऐं हैं, इनको लागू करने का प्रमुख दायित्व राज्य स्तर पर निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व जिला स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्मिकों का है। अतः उपरोक्त व्यवस्था को लागू करने में प्रचार-प्रसार, पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण ऑनलाईन आवेदन करवाना स्वीकृति व भुगतान की मॉनिटरिंग करना वार्षिक भौतिक सत्यापन को सुनिश्चित करना, शिकायतों का निवारण करना, योजना में आ रही कठिनाईयों को दूर करना, उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित कर योजना को प्रभावी रूप से लागू करना आदि दायित्वों का निर्वहन अपेक्षित है। जिला कलक्टर समग्र रूप से पर्यवेक्षण (Overall Supervision) करेंगे एवं प्रभावी रूप से लागू करेगें।

E. स्वतः स्वीकृति प्रक्रिया हेतु सहायता प्रकोष्ठ (HELPDESK FOR AUTO APPROVAL PROCEDURE)

पेंशन स्वीकृति की नयी प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अथवा पेंशन सम्बन्धी कोई समस्या होने की दशा में निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता है:-

नाम	पदनाम	ई-मेल आई.डी.	मोबाईल नं.
श्री सुरेश गुप्ता	अतिरिक्त निदेशक, पेंशन	adpension.sje@rajasthan.gov.in raj.sje@rajasthan.gov.in	9784111000
श्री प्रवीण कुमार	उप निदेशक, आई.टी.	pkumar.doit@rajasthan.gov.in	9911700177
श्री तपेश कश्यप	प्रोग्रामर	tkkashyap.doit@rajasthan.gov.in	9414251150

संलग्नः-

1. मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र क्रमांक 3209 दिनांक 08.09.2021
2. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा भी पत्रांक 3462/2021 दिनांक 22.9.2021
3. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की ऑनलाइन आवेदन, स्वतः सत्यापन एवं स्वीकृति की सरलीकृत प्रक्रिया
4. जनाधार पोर्टल पर संशोधन करवाए जाने की प्रक्रिया

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ 09 (05)(12–।।) सासुपे नियम / सान्याअवि / 2021–22 / 4543-6105 जयपुर, दिनांक 01/10/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, महालेखाकार (लेखा परीक्षा–।), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पदेन महानिदेशक, जन आधार प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
12. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
13. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राजस्थान, जयपुर।
15. समस्त उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका / आयुक्त, नगर निगम / नगर परिषद् राजस्थान।
16. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. उप निदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, समस्त जिला।

(ओ. पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Information Technology & Communication

क्रमांक F11(430)/DoIT&C/2021/03209/2021 दिनांक 08/09/2021

परिपत्र

राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिये आमजन द्वारा आवेदनों के साथ विभिन्न प्रकार के सहायक दस्तावेजों की प्रति वर्तमान में स्कैन (Scan) करके ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड की जाती है। इसके साथ ही भौतिक सत्यापन करवाने के लिये आमजन को सरकारी कार्यालयों में उपस्थित होना पड़ता हैं। जिससे उनका समय एवं धन खर्च होता है।

अतः दस्तावेजों के सत्यापन में लगने वाले समय, मेहनत एवं कागजी कार्यवाही को कम करने के उद्देश्य से समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं के लिये भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेजों के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण जनआधार रेजीडेन्ट डेटा रिपोजटरी के माध्यम से सत्यापन हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021–22 के बिन्दु संख्या 238 में निम्न घोषणा की है :–

"विभिन्न राजकीय योजनाओ को ऑनलाइन करने में दस्तावेजों व भौतिक सत्यापन के माध्यम से पात्रता का प्रमाणीकरण एक बड़ी बाधा है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि समस्त योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन व दस्तावेज के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य करते हुए 2 अक्टूबर 2021 को गाँधी जयंती के अवसर पर पूर्ण कर लिए जायेगा।"

अतः उक्त बजट घोषणा एवं राजस्थान जनआधार प्राधिकरण अधिनियम की अनुपालना में विभागीय योजनाओं में आवेदन के समय निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

1. योजना में आवेदन के समय लाभार्थी का जनआधार नम्बर आवश्यक रूप से लिया जाये।
2. लाभार्थी की जानकारी यथा नाम, आयु, लिंग, पता इत्यादि लाभार्थी के जनआधार प्रोफाईल (जनआधार रेजीडेन्ट डेटा रिपोजटरी) से ली जाये।
3. योजना के पात्रता संबधी दस्तावेजों के स्थान पर जनआधार प्रोफाईल से मेटा डेटा आधारित ऑनलाईन प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाये।
4. योजना में लाभार्थी की पात्रता स्वीकृत होने पर योजना की पात्रता नागरिक की जनआधार रेजीडेन्ट डेटा रिपोजटरी में जनआधार प्रोफाईल (Reverse Seeding) में किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण होने पर जनआधार पर अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. सम्पूर्ण सूचनाओं के आदान–प्रदान का कार्य विभागीय ऐप्लीकेशन एवं जन आधार ऐप्लीकेशन के मध्य ऑनलाइन सिस्टेमेटिक लिंकेज (Systematic linkage) द्वारा किया जायेगा।

इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021–22 के बिन्दु संख्या 249 में निम्न बजट घोषणा की है :–

"विभिन्न विभागों की योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियों व भुगतान प्रक्रियाओं में जटिलता होने के कारण आमजन, जनप्रतिनिधिगण तथा कर्मचारी–अधिकारियों को देय लाभ समय से प्राप्त नहीं हो पाते। अतः इस प्रक्रिया का सरलीकरण व ऑनलाइन कर दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त करते हुए Deemed तथा Auto Approval जैसे प्रावधान किये जायेंगे।"

अतः उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में सभी योजनाओं के आवेदनों में निम्न प्रक्रिया अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1. उक्तानुसार योजनाओं के आवेदन में डाटा आधारित सत्यापन होने पर यथासंभव स्वतः स्वीकृति (Auto approval) के माध्यम से विभिन्न योजनाओ में बिना मानवीय हस्तक्षेप (Without human intervention) के स्वीकृति जारी की जावे।
2. जहाँ पर आवेदनों के निस्तारण में स्वतः स्वीकृति (Auto approval) सम्भव ना हो वहां पर सम्बंधित अधिकारी को अप्रूवल (Approval) के लिए निर्धारित समय सीमा दी जावे एवं समय सीमा समाप्त होने पर डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान किया जावे।
3. उपरोक्त की अनुपालना के लिए योजनाओं के अधिनियमों/नियमों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जावे।

इस सम्बन्ध में सभी विभागों द्वारा एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। जिसकी जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को ई-मेल आईडी (mukeshks.doit@rajasthan.gov.in) पर भिजवाया जाये साथ ही उपरोक्त प्रक्रिया को 2 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे। उपरोक्त प्रक्रिया में जानकारी के लिये निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

क्र.सं	नाम	ई-मेल	मोबाईल
1.	श्री प्रदीप कुमार शर्मा, उपनिदेशक	pradeepks.doit@rajasthan.gov.in	9928038574
2.	श्री मुकेश कुमार शर्मा, उपनिदेशक	mukeshks.doit@rajasthan.gov.in	9414995870
3.	श्री रणवीर सिंह, उपनिदेशक	ranveersingh.doit@rajasthan.gov.in	9784436635

(निरंजन कुमार आर्य)
मुख्य सचिव

क्रमांक F11(430)/DoIT&C/2021/03209/2021 — दिनांक 08/09/2021

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पदेन महानिदेशक जनआधार प्राधिकरण, राजस्थान।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. निजी सचिव, निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि. जयपुर, राजस्थान।
8. एस.ए.(संयुक्त निदेशक)/ए.सी.पी(उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग समस्त जिले।

(आलोक गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

215

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Information Technology & Communication

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक F11(430)/DoIT&C/2021/ ML-3462/2021 दिनांक 22-09-2021

शासन सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– बजट घोषणा की अनुपालना के सन्दर्भ में।

सन्दर्भ :– बजट घोषणा 2021–22 के बिन्दु संख्या 238 एवं 249 तथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी परिपत्रों F11(430)/DoIT&C/2021/03209/2021 dated 08.09.2021, F11(430)/DoIT&C/2021/03211/2021 dated 08.09.2021 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021-22 के बिन्दु संख्या 238 एवं बिन्दु संख्या 249 की अनुपालना में विभिन्न विभागों की योजनाओं में दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त करते हुए कार्य प्रक्रिया का सरलीकरण एवं Deemed, Auto Approval जैसे प्रावधान किये जाने है।

उक्त बजट घोषणाओं के सन्दर्भ में मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी सन्दर्भित परिपत्रों के माध्यम से विभिन्न विभागों में योजनावार कार्य प्रक्रिया का सरलीकरण एवं Deemed, Auto Approval जैसे प्रावधान करने हेतु निर्देश प्रदान दिये गए है।

इसी के क्रम में प्रथम चरण में आपके विभाग की निम्न योजनाओं/दस्तावेज को सम्मिलित किया गया है, जिनका मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयन्ती के अवसर पर प्रारम्भ किया जाना है।

1. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
2. मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना
3. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धवस्था पेंशन योजना
5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
6. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
7. जाति प्रमाण–पत्र

अतः आपके विभाग की उपरोक्त योजनाओं/दस्तावेज जारी करने में कार्य प्रक्रिया का सरलीकरण एवं Deemed, Auto Approval जैसे प्रावधान के सम्बन्ध में योजनावार परिपत्र जारी करावें।

(आलोक गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक F11(430)/DoIT&C/2021/ दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पदेन महानिदेशक जनआधार प्राधिकरण, राजस्थान।
4. निजी सचिव, निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि. जयपुर, राजस्थान।

(आर.एल. सोलंकी)
अति0 निदेशक (जन–आधार)

परिशिष्ट – 3

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की ऑनलाइन आवेदन, स्वतः सत्यापन एवं स्वीकृति की सरलीकृत प्रक्रिया

1. दिनांक 2 अक्टूबर 2021 से पेंशन प्राप्त करने के लिए RAJSSP पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने वाले आवेदनों को RAJSSP पोर्टल द्वारा बिना मानवीय हस्तक्षेप (without human Intervention) स्वतः सत्यापन (Auto Verification) के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं की स्वतः स्वीकृति जारी (Auto Approval) की जाएगीः–
   - **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना,**
   - **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना,**
   - **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना,**
   - **मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना,**
   - **मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना एवं**
   - **मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना**

A. ऑनलाइन आवेदन, स्वतः सत्यापन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया

2. सर्वप्रथम आवेदक के परिवार का जनाधार क्रमांक अंकित किया जाएगा–

3. जनाधार पोर्टल से प्राप्त परिवार के सदस्यों में से संबंधित लाभार्थी का चयन करना–

Select One	janaadhaarId	Name	Father Name	DOB	Aadhaar No
○	4774107677	Luni Devi	Sughna Ram	01/01/1968	45XXXXXXX448
○	4774107677	Narpat Ram	Chuna Ram	01/01/2003	20XXXXXXX650
○	4774107677	Bhoma Ram	Chuna Ram	17/02/1994	53XXXXXXX557
○	4774107677	Chuna Ram	Fusa Ram	01/01/1965	46XXXXXXX937

4. चयनित लाभार्थी की पात्रता के आधार पर संभावित पेंशन योजनाओं में किसी एक योजना का चयन करना–

Select One	Scheme Name	Pension Amount	Eligible	Reason
○	Vishesh Yogyajan	1500	Yes	
○	Vraddhajan	Not Applicable	No	Age Not In Vraddhajan Scheme Criteria
○	Krishak Vraddhajan	Not Applicable	No	Age Not In Krishak Vraddhajan Scheme Criteria

5. संबंधित लाभार्थी के आधार क्रमांक के अनुसार बॉयोमैट्रिक संकलित किए जाने की सहमति–

6. आधार पोर्टल से सत्यापन के पश्चात्, आवेदक की वांछित सूचनाएं जनाधार पोर्टल से स्वतः प्रदर्शित की गई सूचनाएं–

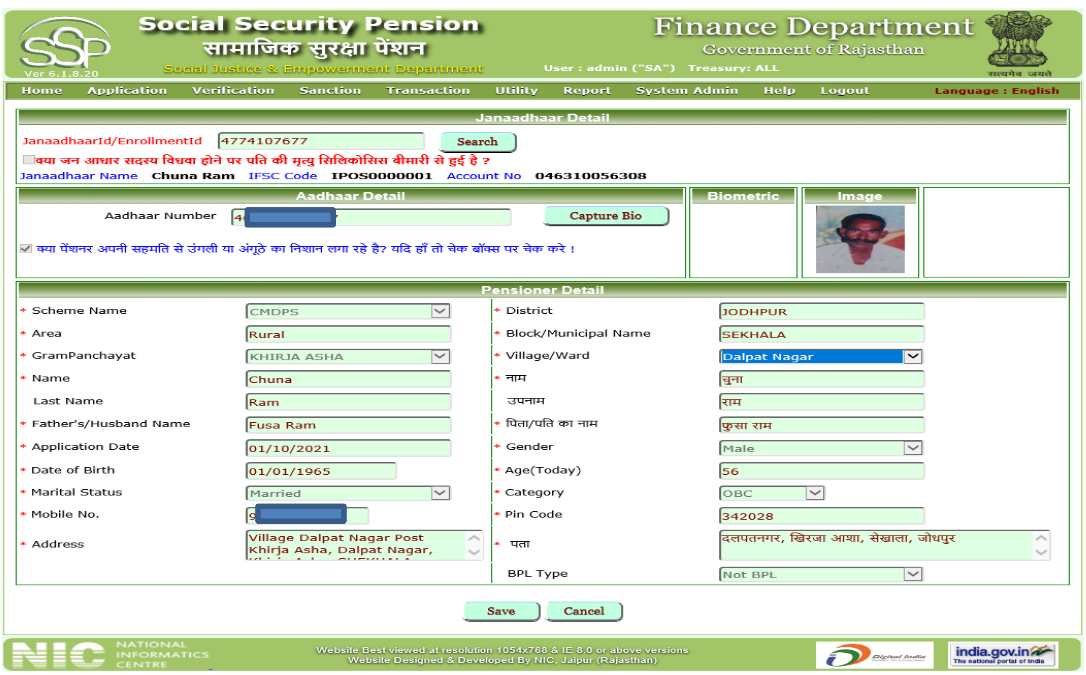

7. स्वतः भरे गए आवेदन पत्र पर SAVE BUTTON पर क्लिक करने के उपरान्त RAJSSP पोर्टल के माध्यम से आवेदन क्रमांक प्रदर्शित हो जाता है—

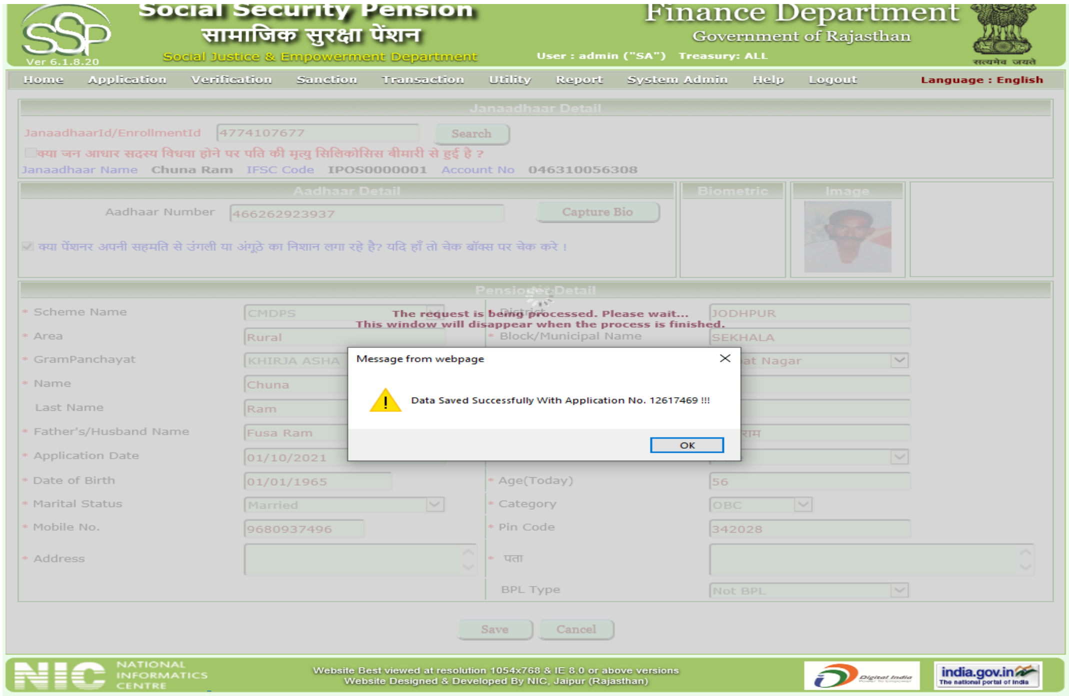

8. जनाधार पोर्टल से प्राप्त आवेदक बैंक विवरण का प्रदर्शन एवं उसका आवेदन पत्र के साथ जोड़ना—

9. जनाधार पोर्टल से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार विशेष योग्यजन की श्रेणी एवं प्रतिशत स्वतः भरा जाना—

10. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरण का सत्यापन किए जाने के लिए सहमति—

11. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ई–मित्र के माध्यम से जारी टोकन/रसीद–

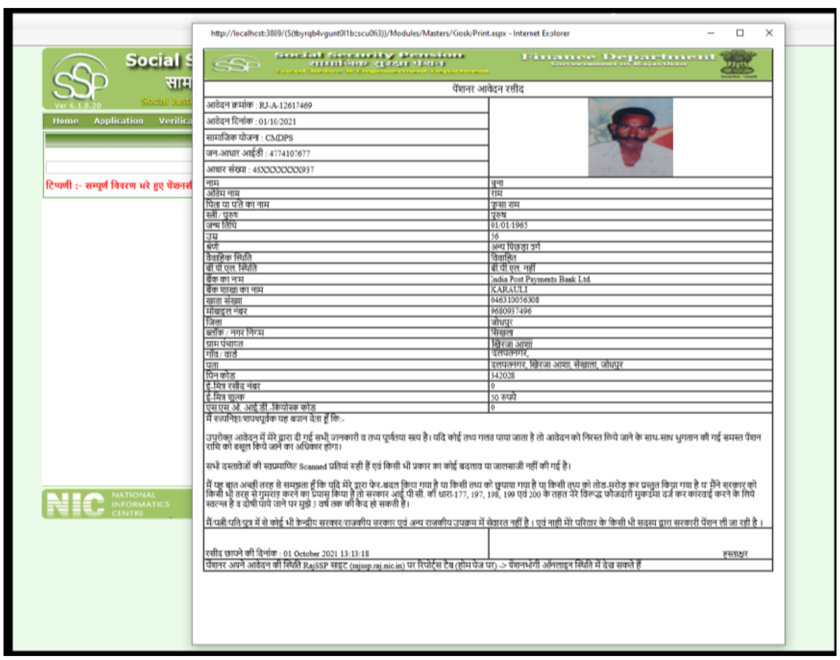

पेंशनर आवेदन रसीद

आवेदन क्रमांक : RJ-A-12617469	
आवेदन दिनांक : 01/10/2021	
सामाजिक योजना : CMDPS	
जन-आधार आईडी : 4774107677	
आधार संख्या : 46XXXXXXX937	
नाम	चुना
अंतिम नाम	राम
पिता या पति का नाम	फुसा राम
स्त्री / पुरुष	पुरुष
जन्म तिथि	01/01/1965
उम्र	56
श्रेणी	अन्य पिछड़ा वर्ग
वैवाहिक स्थिति	विवाहित
बी.पी.एल. स्थिति	बी.पी.एल. नहीं
बैंक का नाम	India Post Payments Bank Ltd
बैंक शाखा का नाम	KARAULI
खाता संख्या	046310056308
मोबाइल नंबर	9680937496
जिला	जोधपुर
ब्लॉक / नगर निगम	सेखला
ग्राम पंचायत	खिरजा आशा
गाँव / वार्ड	दलपतनगर,
पता	दलपतनगर, खिरजा आशा, सेखाला, जोधपुर
पिन कोड	342028
ई-मित्र रसीद नंबर	0
ई-मित्र शुल्क	50 रुपये
एस.एस.ओ. आई.डी.-कियोस्क कोड	0

मैं सत्यनिष्ठा/शपथपूर्वक यह बयान देता हूँ कि:-

उपरोक्त आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी व तथ्य पूर्णतया सत्य है। यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो आवेदन को निरस्त किये जाने के साथ-साथ भुगतान की गई समस्त पेंशन राशि को वसूल किये जाने का अधिकार होगा।

सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित Scanned प्रतियां सही हैं एवं किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।

मैं यह बात अच्छी तरह से समझता हूँ कि यदि मेरे द्वारा फेर-बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या मैंने सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है तो सरकार आई.पी.सी. की धारा-177, 197, 198, 199 एवं 200 के तहत मेरे विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कारवाई करने के लिये स्वतन्त्र है व दोषी पाये जाने पर मुझे 3 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

मैं/पत्नी/पति/पुत्र में से कोई भी केन्द्रीय सरकार/राजकीय सरकार एवं अन्य राजकीय उपक्रम में सेवारत नहीं है। एवं नाही मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा सरकारी पेंशन ली जा रही है।

रसीद छापने की दिनांक : 01 October 2021 13:13:18 हस्ताक्षर

पेंशनर अपने आवेदन की स्थिति RajSSP साइट (rajssp.raj.nic.in) पर रिपोर्ट्स टैब (होम पेज पर) -> पेंशनभोगी ऑनलाइन स्थिति में देख सकते हैं

12. सिस्टम द्वारा स्वतः जारी पेंशन स्वीकृति आदेश

राजस्थान सरकार
सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति का आदेश

आवेदन संख्या और आवेदन तिथि :	RJ-A-12617469	01/10/2021
स्वीकृति आदेश और स्वीकृति तिथि :	RJ-S-12617469	01/10/2021

श्री/श्रीमती चुना राम पिता/पति का नाम फुसा राम तहसील सिखला जिला जोधपुर को स्वीकृति जारी होने की तारीख से मृत्युपरांत या सम्बन्धित पेंशन नियमो में पात्र रहने तक जो भी पहले हो तक प्रतिमाह रूपए 1000 पेंशन भुगतान किये जाने कि स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पेंशनभोगी और पेंशन का विवरण:- योजना का नाम: CMDPS

व्यक्तिगत विवरण :-

लिंग :	पुरुष	आधार कार्ड संख्या:	XXXXXXXXX937
जन्म तिथि एवं आयु(आवेदन की तारिक को आयु)	RJ/23/182/471443	राशन कार्ड संख्या:	200002870533
मतदाता पहचान पत्र संख्या :	01/01/1965	आयु :	56
विशेष योग्यजन की श्रेणी :	सिलिकोसिस	विकलांगता प्रतिशत :	0
वैवाहिक स्थिति :	विवाहित	श्रेणी :	OBC

पते का विवरण :-

पेंशनर का पता :	दलपतनगर, खिरजा आशा, सेखाला, जोधपुर		
नगर पालिका / ब्लॉक का नाम :	सिखला	क्षेत्र :	ग्रामीण
ग्राम पंचायत :	खिरजा आशा	जिला :	जोधपुर
गांव/वार्ड का नाम :	दलपत नगर	राज्य :	राजस्थान

भुगतान का विवरण :-

भुगतान प्राप्त करने का प्रकार :	BANK ACCOUNT
बैंक / पोस्ट आफिस का नाम एवं पता :	India Post Payments Bank Ltd. KARAULI / India Post Payments Bank Ltd, C/o KARAULI Sub Post Office, Indra Colony, Pincode -322241 KARAULI KARAULI RAJASTHAN Pincode: 0
खाता संख्या :	046310056308

अन्य विवरण :-

बी.पी.एल.सं./आस्था/अंत्योदयकार्ड(हाँ/नहीं)	नहीं	कार्ड संख्या :	
एड्स रोगी (हाँ / नहीं) :	नहीं	रजि. संख्या :	
पेंशनर मोबाइल/लैंडलाइन नम्बर :	XXXXXXX496-	पहचान चिन्ह:	

यह कम्प्यूटर जनित स्वीकृति आदेश है ,अतः हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

स्थान सिखला
दिनांक 01/10/2021 01:27 PM

नोट :- पेंशनर/प्राप्तकर्ता को किसी भी समय पते में हुआ परिवर्तन या पात्रता सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन अविलम्ब सम्बन्धित स्वीकृतिकर्ता / उप कोषाधिकारी / कोषाधिकारी अधिकारी को सुचित करना चाहिए।

01/10/2021 01:27 PM Rajssp.raj.nic.in

- उपरोक्त स्वीकृति के आधार पर सम्बन्धित लाभार्थी के जनाधार डेटा से लिंक्ड बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आवश्यक सूचनाएं जनाधार पोर्टल से प्राप्त नहीं होने पर जनाधार पोर्टल पर सूचनाएं अद्यतन करवाए जाने की प्रक्रिया **परिशिष्ठ–4** पर उपलब्ध है।

B. Provision to update meta data in Jan Aadhaar for Social Security Pension
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जन आधार में मेटा डेटा अपडेट करने का प्रावधान

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जन आधार में विवरण अद्यतन करने की प्रक्रिया–

1. जन आधार में वैवाहिक स्थिति को विधवा/तलाकशुदा/परित्यगता अद्यतन करे–

लाभार्थी अपने जन आधार में स्वयं की एस एस ओ आई डी या ई–मित्र के द्वारा अपनी वैवाहिक स्थिति विधवा/तलाकशुदा/परित्यगता अद्यतन कर सकता है। जन आधार में नामांकन फॉर्म में निम्न विकल्प उपलब्ध है–

दस्तावेज सूची–

यदि विधवा हो तो, नागरिक को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

यदि तलाकशुदा हो तो, नागरिक को न्यायालय के आदेश की प्रति अपलोड करनी होगी।

यदि परित्यक्ता हो तो, नागरिक को प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

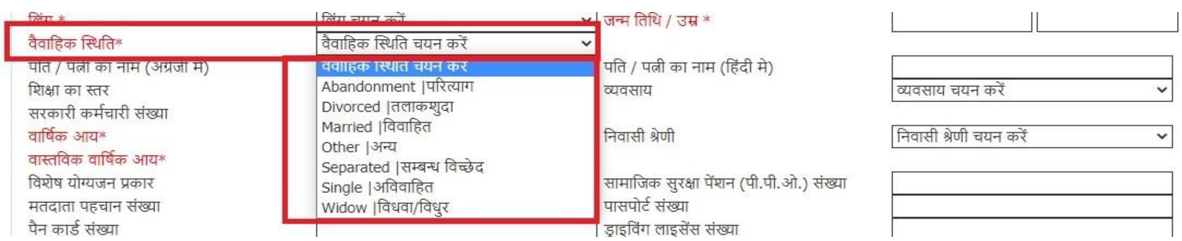

2. जन आधार में वास्तविक वार्षिक आय अद्यतन–

लाभार्थी अपने जन आधार में स्वयं की एस एस ओ आई डी या ई–मित्र के द्वारा अपनी वास्तविक वार्षिक आय का अद्यतन कर सकता हैं। जन आधार में नामांकन फॉर्म में निम्न विकल्प उपलब्ध है–

आय के संबंध में स्व–घोषणा –

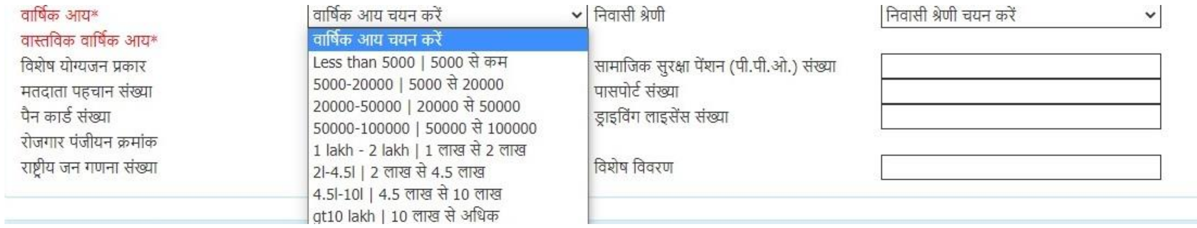
वार्षिक आय*
वास्तविक वार्षिक आय*
विशेष योग्यजन प्रकार
मतदाता पहचान संख्या
पैन कार्ड संख्या
रोजगार पंजीयन क्रमांक
राष्ट्रीय जन गणना संख्या
वार्षिक आय चयन करें
वार्षिक आय चयन करें
Less than 5000 | 5000 से कम
5000-20000 | 5000 से 20000
20000-50000 | 20000 से 50000
50000-100000 | 50000 से 100000
1 lakh - 2 lakh | 1 लाख से 2 लाख
2l-4.5l | 2 लाख से 4.5 लाख
4.5l-10l | 4.5 लाख से 10 लाख
gt10 lakh | 10 लाख से अधिक
निवासी श्रेणी
सामाजिक सुरक्षा पेंशन (पी.पी.ओ.) संख्या
पासपोर्ट संख्या
ड्राइविंग लाइसेंस संख्या
विशेष विवरण
निवासी श्रेणी चयन करें

इन्द्राज वास्तविक वार्षिक आय–

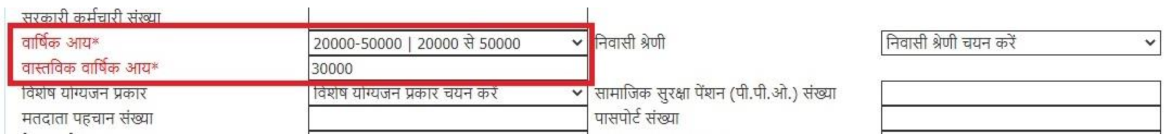
सरकारी कर्मचारी संख्या
वार्षिक आय*
वास्तविक वार्षिक आय*
विशेष योग्यजन प्रकार
मतदाता पहचान संख्या
20000-50000 | 20000 से 50000
30000
विशेष योग्यजन प्रकार चयन करें
निवासी श्रेणी
सामाजिक सुरक्षा पेंशन (पी.पी.ओ.) संख्या
पासपोर्ट संख्या
निवासी श्रेणी चयन करें

3. जन आधार में विशेष योग्यजन यूडीआईडी प्रमाण पत्र/विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र संख्या एवं आस्था कार्ड का विवरण अद्यतन–

लाभार्थी यदि जन आधार के माध्यम से यूडीआईडी पर स्वयं को पंजीकृत करता है तो विकलांग और आस्था कार्ड का विवरण जन आधार में स्वतः अद्यतन हो जायेगा।

लाभार्थी यदि जन आधार के माध्यम से यूडीआईडी पर स्वयं को पंजीकृत नहीं करता है तो विशेष योग्यजन और आस्था कार्ड का विवरण स्वयं की एस एस ओ आई डी या ई–मित्र से अद्यतन करवा सकता है। जन आधार में नामांकन फॉर्म में निम्न विकल्प उपलब्ध है–

"क्या विशेष योग्यजन है?" के चेक बॉक्स को चुन कर जन आधार में यूडीआईडी /विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र संख्या एवं आस्था कार्ड का विवरण अद्यतन कर सकता है। विवरण यूडीआईडी पोर्टल द्वारा स्वतः प्राप्त किया जाएगा।
दस्तावेज सूची– दस्तावेज *Raj-eVault* से प्राप्त किये जाएंगे।

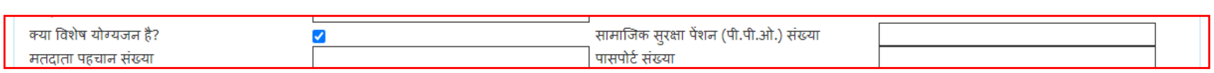
क्या विशेष योग्यजन है?
मतदाता पहचान संख्या
सामाजिक सुरक्षा पेंशन (पी.पी.ओ.) संख्या
पासपोर्ट संख्या

4. जन आधार में बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्तोदय अद्यतन–

लाभार्थी अपने जन आधार में स्वयं की एस एस ओ आई डी या ई–मित्र के द्वारा बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्तोदय का विवरण अद्यतन कर सकता हैं। जन आधार में नामांकन फॉर्म में निम्न विकल्प उपलब्ध है–

दस्तावेज सूची–

राशन कार्ड नंबर दर्ज करे–

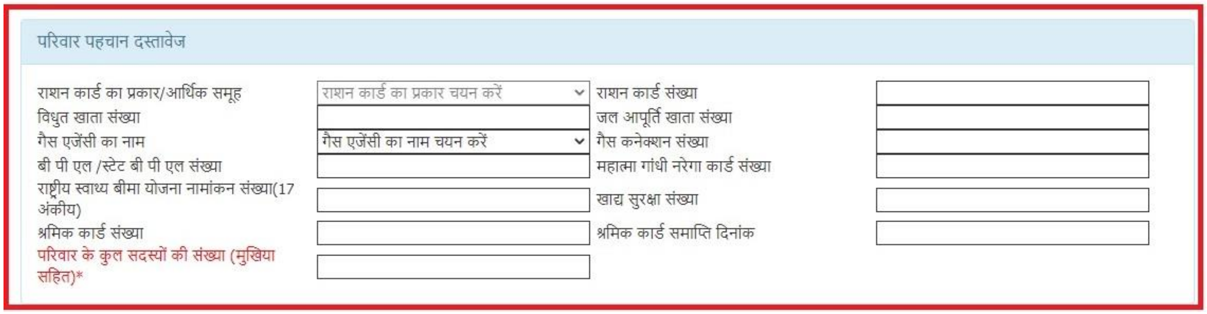
परिवार पहचान दस्तावेज

राशन कार्ड का प्रकार/आर्थिक समूह	राशन कार्ड का प्रकार चयन करें	राशन कार्ड संख्या	
विधुत खाता संख्या		जल आपूर्ति खाता संख्या	
गैस एजेंसी का नाम	गैस एजेंसी का नाम चयन करें	गैस कनेक्शन संख्या	
बी पी एल /स्टेट बी पी एल संख्या		महात्मा गांधी नरेगा कार्ड संख्या	
राष्ट्रीय स्वाथ्य बीमा योजना नामांकन संख्या(17 अंकीय)		खाद्य सुरक्षा संख्या	
श्रमिक कार्ड संख्या		श्रमिक कार्ड समाप्ति दिनांक	
परिवार के कुल सदस्यों की संख्या (मुखिया सहित)*			

राशन कार्ड के सदस्यों का विवरण राशन डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा।

राशन कार्ड विवरण से बी.पी.एल. / राज्य बी.पी.एल. परिवार के मुखिया का चयन करे।

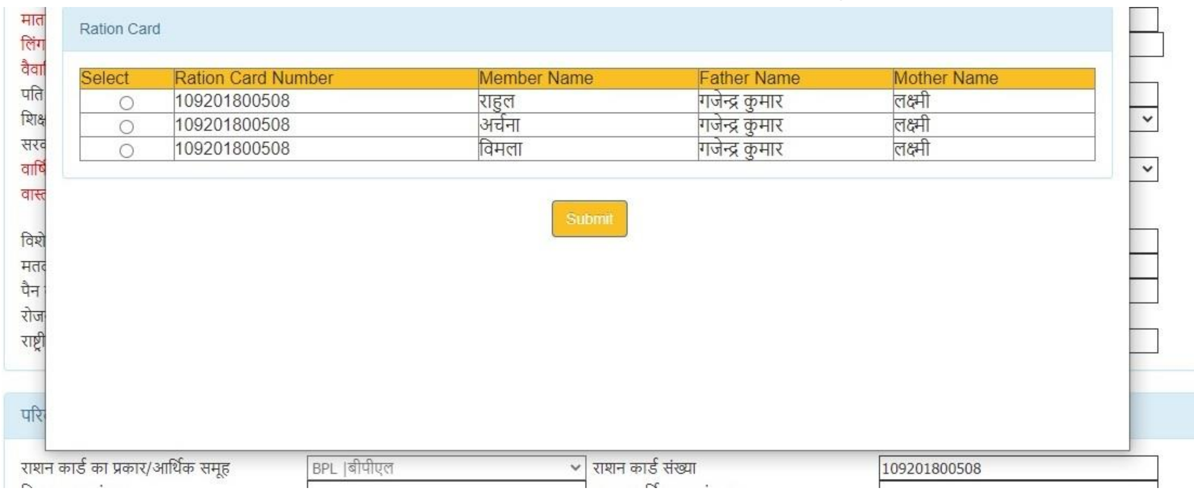
Ration Card

Select	Ration Card Number	Member Name	Father Name	Mother Name
○	109201800508	राहुल	गजेन्द्र कुमार	लक्ष्मी
○	109201800508	अर्चना	गजेन्द्र कुमार	लक्ष्मी
○	109201800508	विमला	गजेन्द्र कुमार	लक्ष्मी

Submit

राशन कार्ड का प्रकार/आर्थिक समूह BPL |बीपीएल राशन कार्ड संख्या 109201800508

बीपीएल / स्टेट बीपीएल / अन्तोदय श्रेणी का विवरण राशन कार्ड डेटाबेस से प्राप्त कर अद्यतन किया जायेगा।

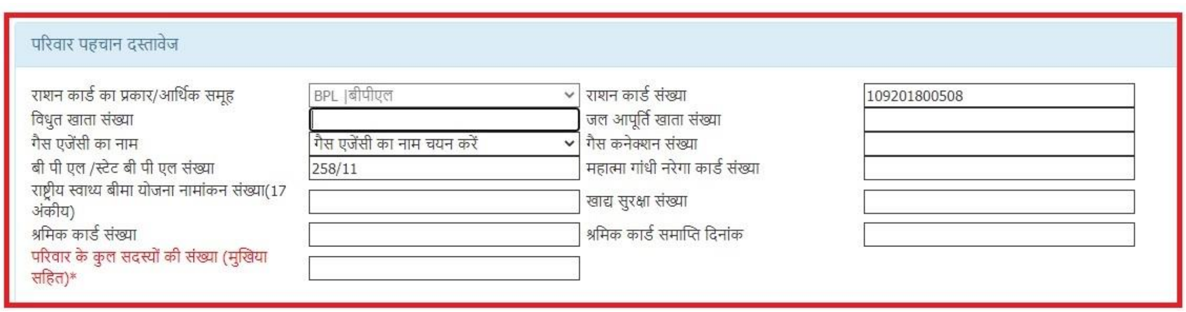
परिवार पहचान दस्तावेज

राशन कार्ड का प्रकार/आर्थिक समूह	BPL |बीपीएल	राशन कार्ड संख्या	109201800508
विधुत खाता संख्या		जल आपूर्ति खाता संख्या	
गैस एजेंसी का नाम	गैस एजेंसी का नाम चयन करें	गैस कनेक्शन संख्या	
बी पी एल /स्टेट बी पी एल संख्या	258/11	महात्मा गांधी नरेगा कार्ड संख्या	
राष्ट्रीय स्वाथ्य बीमा योजना नामांकन संख्या(17 अंकीय)		खाद्य सुरक्षा संख्या	
श्रमिक कार्ड संख्या		श्रमिक कार्ड समाप्ति दिनांक	
परिवार के कुल सदस्यों की संख्या (मुखिया सहित)*			

5. जन आधार में सहरिया / कथौडी / खैरवा अद्यतन–

लाभार्थी जिला रसद अधिकारी बारां/उदयपुर जिला के माध्यम से जनआधार पोर्टल पर पीडीएस सीडिंग मॉडयूल का उपयोग कर अपने जन आधार में सहरिया/कथौडी/खैरवा अद्यतन करवाया जा सकता है।

जन आधार में सीडिंग मॉडयूल में निम्न विकल्प उपलब्ध है–

राशन कार्ड नम्बर दर्ज करे, सर्च बटन पर क्लिक करे और सदस्य चुने।

Ration Card Detail

Ration Card No. 010303300093 Search

Select	Name	Father Name	Spouse Name	DoB	Gender	District	City/Block	Ward/Village	Panchayat
◉	दीपक	कमलेश		01-JAN-12	M	Baran	Kishanganj	Suhawan	बरूनी
●	**कमलेश**	**नेंगा**	**भूली बाई**	**01-JAN-87**	**M**	**Baran**	**Kishanganj**	**Suhawan**	**बरूनी**
●	भूली बाई	जगनी	कमलेश	01-JAN-89	F	Baran	Kishanganj	Suhawan	बरूनी

राशन कार्ड श्रेणी का चयन सहरिया/कथौडी/खैरवा करे। राशन में मैप किए गये स्थानों के अनुसार नागरिक की श्रेणी प्रदर्शित की जाएगी। जन आधार में श्रेणी के अद्यतन के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

			EACode(4)Station Code(5)Sequence(5)	DDMMYYYY(8)	HHMMSS(6)
UID/Aadhar No.*	283998494534	EID No.			
District	Baran	Bank Name*	STATE BANK OF INDIA	IFSC Code/ MICR*	SBIN0006689
Branch Name*	DIST BARAN RAJASTHAN	Bank Account No.*	12345678909	Mobile No.	
Ration Card No.	010303300093	Nrega Number		Pension Number	
KCC Number		Palanhar Number		Scholarship Number	
BPL Family No.		Bhamashah Family/Ack Id		Type*	○saharia ◉kherwa ○none

Submit Reset

6. जन आधार में एचआईवी/एड्स ग्रीन कार्ड विवरण अद्यतन–

लाभार्थी ई–मित्र के माध्यम से ऑफलाइन सीडिंग मॉडयूल का उपयोग करके जन आधार में एचआईवी/एड्स ग्रीन कार्ड विवरण अद्यतन कर सकता है।

जन आधार में नामांकन फॉर्म में निम्न विकल्प उपलब्ध है–

दस्तावेज सूची– एचआईवी/एड्स ग्रीन कार्ड कॉपी (मैन्यूअल सत्यापन आवश्यक नहीं, स्वतः अनुमोदन)।

जन आधार आईडी अंकित कर सर्च करे –

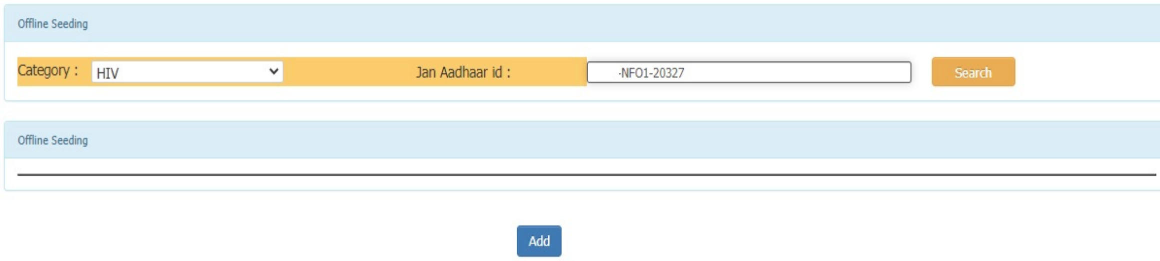

जन आधार सदस्य को चुने –

नीचे स्क्रीन में बताए अनुसार विवरण दर्ज करें

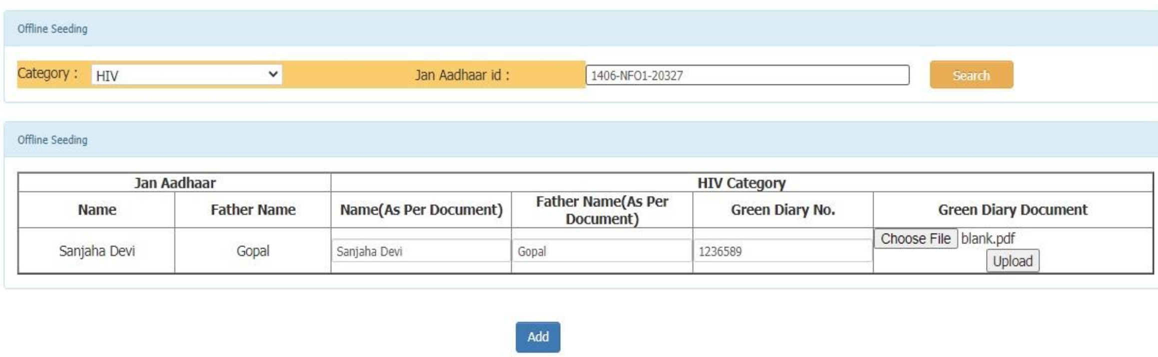

Add button पर क्लिक करे

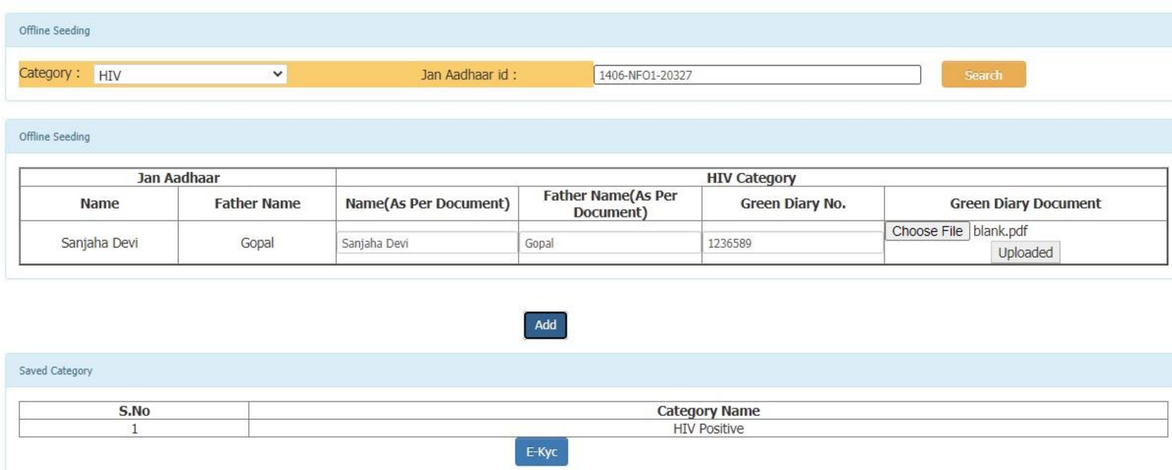

जन आधार प्रोफाईल में विवरण अद्यतन करने के लिए eKYC बटन पर क्लिक करे

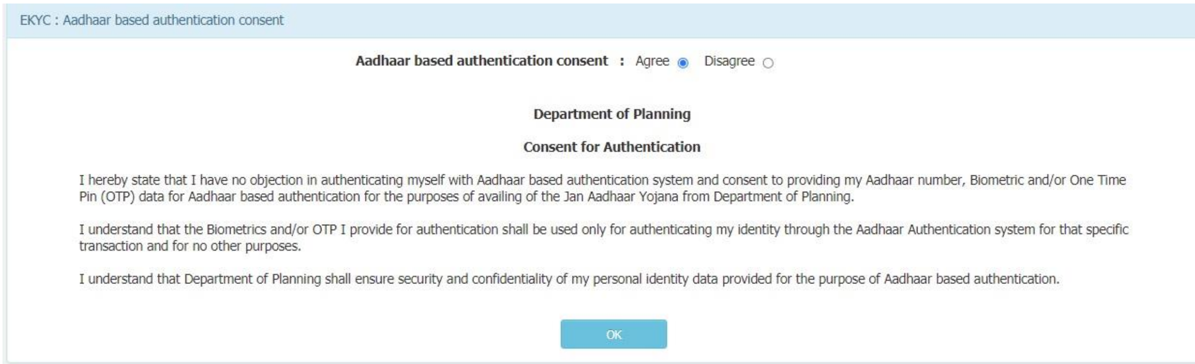
EKYC : Aadhaar based authentication consent

Aadhaar based authentication consent : Agree ◉ Disagree ○

Department of Planning

Consent for Authentication

I hereby state that I have no objection in authenticating myself with Aadhaar based authentication system and consent to providing my Aadhaar number, Biometric and/or One Time Pin (OTP) data for Aadhaar based authentication for the purposes of availing of the Jan Aadhaar Yojana from Department of Planning.

I understand that the Biometrics and/or OTP I provide for authentication shall be used only for authenticating my identity through the Aadhaar Authentication system for that specific transaction and for no other purposes.

I understand that Department of Planning shall ensure security and confidentiality of my personal identity data provided for the purpose of Aadhaar based authentication.

OK

7. जन आधार में सिलिकोसिस विवरण अद्यतन–

जन आधार आईडी से सिलिकोसिस पोर्टल पर पंजीकरण के बाद जन आधार पर विवरण स्वतः अद्यतन हो जाएगा।

दस्तावेज सूची– दस्तावेज *Raj-eVault* से प्राप्त किये जाएंगे।